

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान
 प्रकरण संख्या 51/24 दायरा दिनांक 20.09.2024

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

- 1-रामजीलाल पुत्र ज्ञानी जाति किराड निवासी गदरेठा तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 2-सुरेश पुत्र ज्ञानी जाति किराड निवासी गदरेठा तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 3-सीताबाई पत्नि गोरधन पुत्री ज्ञानी जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 4-जानकीबाई पत्नि रामचरण पुत्री ज्ञानी जाति किराड निवासी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 5-ज्ञाना बाई पत्नि स्व. ज्ञानी जाति किराड निवासी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 6-सरोज पत्नि मंजीत पुत्री सुरेश जाति किराड निवासी गणेशपुरा तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0 वादीगण

बनाम

- 1-संजय पुत्र कन्हैयालाल जाति किराड निवासी गदरेठा तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 2-अशोक पुत्र कन्हैयालाल जाति किराड निवासी गदरेठा तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 3-सोम पुत्र कन्हैयालाल जाति किराड निवासी गदरेठा तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 4-हरिलाल पुत्र नारान जाति किराड निवासी गदरेठा तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 5-रामस्वरूप पुत्र नारान जाति किराड निवासी गदरेठा तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 6-रघुवीर पुत्र नारान जाति किराड निवासी गदरेठा तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 7-कस्तूरी पत्नि स्व. नारान जाति किराड निवासी गदरेठा तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 8-स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान - प्रतिवादीगण

दावा वास्ते विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट

अंतिम निर्णय दिनांक- 01.05.2025

उपस्थित - वादीगण की ओर से - श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से - एकपक्षीय

उक्त उनवानी वाद को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2025 से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 152 की 10.02 बीघा, ख0नं0 161 की 5.08 बीघा, ख0नं0 177 की 1.02 बीघा, ख0नं0 192 की 9.06 बीघा, ख0नं0 193 की 3.01 बीघा, ख0नं0 197 की 1.09 बीघा, ख0नं0 246 की 8.13 बीघा, ख0नं0 247 की 0.04 बीघा, ख0नं0 322 की 0.05 बीघा कुल किता 9 कुल रकबा 39.10 बीघा कृषि भूमि स्थित ग्राम गदरेठा पटवार हल्का गदरेठा तहसील शाहावाद जिला-बारां राज. का अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी के सिद्धान्त पर विभाजन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहावाद को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी

01.05.2025
 उपखण्ड अधिकारी

पालना में दिनांक 30.04.2025 को तहसीलदार शाहावाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया, जिसे वादीगण ने स्वीकार कर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	- रकबा	किस्म	लगान
1-	रामजीलाल पुत्र ज्ञानी सीताबाई जानकीबाई पुत्रियां ज्ञानी हि.4/5 सरोज मेहता पत्नि मनजीत मेहता हि.1/5 कोम किराड सा. देह	161	- 5.08	बीघा नहरी1	
2-	रामजीलाल पुत्र ज्ञानी सीताबाई जानकीबाई पुत्रियां ज्ञानी हि.4/5 ज्ञानाबाई बेवा ज्ञानी हि. 2/25 सुरेश पुत्र ज्ञानी हि. 2/25 सरोज मेहता पत्नि मनजीत मेहता हि.1/25 कोम किराड सा. देह	246	- 8.13	बीघा नहरी1	

क्र.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	- रकबा	किस्म	लगान
3-	रामजीलाल सुरेश पुत्र ज्ञानी सीताबाई जानकीबाई पुत्रियां ज्ञानी ज्ञाना बेवा ज्ञानी हि.बरा.कोम किराड सा. देह	192	- 5.08	बीघा नहरी1	
		पूर्वी 308	- 0.04	बीघा बारानी1	
		322	- 0.02	बीघा खेडा2	
		दक्षिणी			

किता 3 - कुल रकबा 5.14 बीघा

क्र.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	- रकबा	किस्म	लगान
4-	संजय अशोक सोम पुत्र व रामनाथी बेवा कन्हैयालाल हि.1/5 हरिलाल रामस्वरूप रघुवीर पुत्र व कस्तुरी बेवा नारान हि. 4/5 कोम किराड सा. देह हरिलाल रामस्वरूप हि. 1/5 रहन SBBJ शाखा समरानिया नामा.नं. 1211 से रघुवीर व कस्तुरी का हि.1/5 रहन ICICI बैंक शाखा पेनावदा	152	- 10.02	बीघा नहरी1	
		177	- 1.02	बीघा नहरी1	
		192	- 3.18	बीघा पश्चिमी	
		193	- 3.01	बीघा नहरी1	
		197	- 1.09	बीघा बा.च.	
		322	- 0.03	बीघा खेडा2	
		उत्तरी			

किता 6 - कुल रकबा 19.15 बीघा

अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर ग्राम गदरेटा तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 152 की 10.02 बीघा, ख0नं0 161 की 5.08 बीघा, ख0नं0 177 की 1.02 बीघा, ख0नं0 192 की 9.06 बीघा, ख0नं0 193 की 3.01 बीघा, ख0नं0 197 की 1.09 बीघा, ख0नं0 246 की 8.13 बीघा, ख0नं0 308 की 0.04 बीघा, ख0नं0 322 की 0.05 बीघा कुल किता 9 कुल रकबा 39.10 बीघा कृषि भूमि में से वादीगण तथा प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाता है। उपरोक्तानुसार

वादीगण तथा प्रतिवादीगण का प्रथक खाता कायम कर तरमीम की जावे। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

01.05.2025

सुप्रीम अधिकारी
शाहावाद शिखारस (तह)